



महोबा पुलिस

दिनांक- 06.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 825/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के लिए निर्देश।

- आज दिनांक 06.10.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
 - जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
 - पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
 - साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
- महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





महोबा पुलिस

दिनांक- 06.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 826/26

सर्किल कुलपहाड़ - थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ

01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.10.2026 को थानाध्यक्ष पनवाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह के निर्देशन में गठित थाना पनवाड़ी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्र मय हमराह कां0 राममिलन सिंह एवं कां0 रामकुमार तिवारी द्वारा 01 नफर अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र विनोद यादव, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम रिछा, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा को ग्राम किल्हौवा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना पनवाड़ी पर मु0अ0सं0 165/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभिषेक यादव पुत्र विनोद यादव, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम रिछा, थाना पनवाड़ी, जनपद महोबा।

बरामदगी-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर।

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्र

2. कां0 राममिलन सिंह

3. कां0 रामकुमार तिवारी





महोबा पुलिस

दिनांक- 06.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 828/26

आगामी नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने थाना कोतवाली

नगर क्षेत्र में किया पैदल गश्त एवं दुर्गा पंडालों का स्थलीय निरीक्षण...

आगामी नवरात्रि पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में सम्पन्न कराने तथा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में पुलिस द्वारा निरंतर सतर्कता एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.10.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। इस दौरान प्रमुख बाजारों, सार्वजनिक स्थलों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा आमजन से संवाद कर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

आगामी नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत क्षेत्र में स्थापित होने वाले दुर्गा पंडालों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए आयोजन समितियों एवं सम्बन्धित व्यक्तियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। पंडालों के आसपास यातायात व्यवस्था, विद्युत सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, आवागमन के मार्ग, भीड़ नियंत्रण एवं महिला सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजन समितियों को निर्देशित किया गया कि पंडालों में निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी जाए। साथ ही थाना पुलिस को पर्व के दौरान नियमित रूप से क्षेत्र में भ्रमणशील रहने, संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने तथा आयोजकों से निरंतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

पुलिस द्वारा आमजन से शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व मनाने, अफवाहों पर ध्यान न देने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई।

जनपद महोबा पुलिस द्वारा आगामी नवरात्रि पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है।





महोबा पुलिस

दिनांक- 06.10.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 829/26

साइबर जागरूकता माह के अंतर्गत महोबा पुलिस का व्यापक जागरूकता अभियान विद्यालयों में छात्र-छात्राओं से संवाद कर साइबर ठगी से बचाव के उपायों की दी गई जानकारी।

साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर जागरूकता माह के अंतर्गत आज दिनांक 06.10.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के मार्गदर्शन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा विभिन्न विद्यालयों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस क्रम में थाना साइबर पुलिस टीम द्वारा काशी प्रसाद इंटर कॉलेज, थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज सुगिरा तथा थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा रुक्मणी इंटर कॉलेज ग्योडी में छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित कर उन्हें साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों एवं वर्तमान समय में प्रचलित साइबर अपराधों के संबंध में जानकारी देते हुए सतर्क एवं सजग रहने के लिए जागरूक किया गया।

छात्र-छात्राओं को विशेष रूप से समझाया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, PIN, पासवर्ड, बैंक/ATM संबंधी जानकारी अथवा व्यक्तिगत विवरण साझा न करें।

संदिग्ध लिंक, कॉल, मैसेज एवं ऑनलाइन ऑफर पर बिना सत्यापन के विश्वास न करने तथा किसी भी प्रकार की साइबर ठगी से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने हेतु जागरूक किया गया।

साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के महत्व के संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने तथा www.cybercrime.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत करने के संबंध में अवगत कराया गया।

विद्यालयों के प्रवेश द्वार पर मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई साइबर जागरूकता सामग्री/पम्पलेट चस्पा कर अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं एवं आमजन को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

महोबा पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई कि साइबर अपराध से बचाव के लिए सतर्कता एवं जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक, ऐप अथवा ऑनलाइन ऑफर के संबंध में बिना सत्यापन के कोई कदम न उठाएं तथा साइबर ठगी होने की स्थिति में तत्काल 1930 पर सूचना दें।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें—साइबर अपराध से बचाव ही सबसे बेहतर सुरक्षा है।

महोबा पुलिस नागरिकों की सुरक्षा एवं साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु निरंतर जागरूकता अभियान संचालित कर रही है।

